N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0217 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/08/2025 15:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 07/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 08/05/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 18:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/08/2025 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/08/2025 15:40:57 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 250 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** GRAM MAAL KA KHERA,POLICE THANA BIJAULIYA,, JILA BHILAWARA

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): KAILA LAL MALI

(b) Father's Name (पिता का नाम): MANGI LAL MALI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1965 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	UNDARO KA KHERA, POLICE THANA MANDALGARH, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	UNDARO KA KHERA, POLICE THANA MANDALGARH, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MANOJ KUMAR		पिता:KALLURAM	1. MUKAM POST BAROLICHHR,KOLI MOHALLA,NADBI,BHARATPUR, RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 10,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक महोदय जी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यरो भीलवाडा विषय कानुनी कार्यवाही करने हेतु महोदय उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि मे केलालाल पुत्र मांगीलाल माली नीवासी उन्द्रो का खेडा तहसील बिजौलियां थाना मांडलगढ का रहने वाला हूं मेरी व मेरी पत्नी के नाम ग्राम पंचायत माल का खेडा के राजस्व ग्राम धनवाडा में खाता संख्या 83 आराजी संख्या 86, 87/1 कुल खसरे 02.0.8255 व खाता संख्या 665 आराजी संख्या 77/7, 85 कुल खसरे 02.1.5136 हैक्टर कुल 14.05 बीघा जमीन दर्ज है जिसकी पतरगडी करवाने हेतु कल मेरे पास पटवारी साहाब किसी अन्य मोबाईल नम्बरो फोन कर मुझे पटवार भवन माल का खेडा में बुलाया जिस पर में पटवार भवन गया और पटवारी साहब से मीला तो उन्होने बताया कि आपके पतरगडी का आदेश आ गया है और पतरगडी करने के 1000/- एक हजार रूप्ये प्रति बीघा लगेगे। जिस पर मैने गरीब आदमी हूं कह रूप्ये कम करने का बोला तो पटवारी साहाब मनोज जी ने 12000/- बारह हजार रूपेये लेने पर राजी हुए पटवारी साहब मेरे से मेरे खेत की पतरगडी करने के एक हजार रूप्ये प्रति बीघा के हिसाब से 12000/- बारह हजार रूप्ये रिस्वत राशी की मांग कर रहे है पटवारी साहब मनोज जी 12000/-बारह हजार रिस्वत लिए बीना मेरे खेत की पतरगडी नहीं करेगे। पटवारी साहाब कल मेरे खेत पर आकर पतरगडी करेगें व मुझसे 12000/- बारह हजार रूपये रिस्वत राशी लेगें। मे मेरे जायज काम के बदले पटवारी साहाब को 12000/- बारह हजार रूपये राशी नहीं देना चाहता हुं बल्की रिस्वत राशी लेते हुए उन्हे रगें हाथों पडवाना चाहता हुं मेरी पटवारी मनोज जी पुरानी कोई लेन देन नही है, नाही पटवारी साहाब से मेरी कोई आपसी रंजिस है। में पढा लिखा नहीं होकर केवल अपने हस्ताक्षर करना जानता हूं पढा लिखा नहीं होने के कारण मेने मेरी रिपोर्ट मेरे साथ आये रामदेव पुत्र बरदा जी तेली निवासी उन्द्रो का खेडा मेरे घर पडोसी से लिखवाई है। मेरी लिखित रिपोर्ट व आगे की कार्यवाही रामदेव के शामील होने की सहमती देता हुं अभी रामदेव मेरे साथ ओफिश में आये है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करे। एस.डी केलालाल प्रार्थी केलालाल माली पुत्र मांगीलाल माली उम्र 60 वर्ष निवासी उन्द्रो का खेडा . एम.डी रामदेव / बरदा तेली एसडी अनिल कुमार जोशी अ.प्र.अ. एसडी नईमुद्दीन लोहार क.स. कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम दिनांक 07.05.2025 समय 06.00 पी.एम इस समय कार्यालय में परिवादी श्री कैला लाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 60 वर्ष निवासी उन्दरो का खेडा, तहसील बिजौलिया, पुलिस थाना मांडलगढ, जिला भीलवाडा नें एक हस्तलिखित रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज जिसमें पत्थरगढी करने के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडलगढ जिला भीलवाडा के आदेश जमाबंदी व परिवादी श्री कैला लाल एवं उसकी पत्नि श्रीमती शांति देवी के आधार कार्ड की प्रतियों के साथ अपने जानकार श्री रामदेव पुत्र श्री बरदा तेली निवासी उंदरो का खेडा नें उपस्थित कार्यालय हो मन पुलिस निरीक्षक को पेश की। परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट का अवलोकन कर दरियाप्त करने पर बताया कि परिवादी ने बताया कि मैं सिर्फ मेरे हस्ताक्षर करना जानता हूं, पढा लिखा नही होने के कारण मैनें मेरी रिपोर्ट मेरे घर पडौसी जानकार श्री रामदेव से लिखवाई है। परिवादी से उसके लम्बित कार्य के बारें में पूछताछ करने पर बताया कि मैनें दो साल पहले मांडलगढ तहसील में पत्थरगढी करने की रिपोर्ट लगाई थी जिस पर कल दिनांक 06.05.2025 को दोपहर बाद मेरे मोबाईल नम्बर पर मोबाईल नम्बर से फोन आया और मुझसे कहा कि पटवारी मनोज कुमार बोल रहा हूं और मुझे पटवार भवन माल का खेडा बुलाया। जिस पर मैं पटवार भवन गया तो पटवारी साहब श्री मनोज कुमार मुझे मिले और बताया कि आपकी जमीन के पत्थरगढी के आदेश आ गये है और नापने के लिये 1000 रूपये प्रति बीघा के लगेगें। जिस पर मैनें पटवारी साहब को कहा कि गरीब आदमी हूं, 1000 रूपये प्रति बीघा तो ज्यादा हो जायेगें तथा मैनें कम करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी साहब मेरे से पत्थरगढी करने के लिये 12,000 रूपये की रिश्वत राशि लेने हेतु राजी हुए। पटवारी साहब श्री मनोज जी ने मुझे कहा कि परसों आपकी जमीन का नाप-चौप कर पत्थरगढी कर देंगें। इसके बाद मैं पटवार भवन से वापस मेरे घर आया और मैनें सभी बातें मेरे घर पडौसी श्री रामदेव तेली को बताई तो श्री रामदेव ने मुझे रात होने के कारण सुबह बात करने के लिये कहा। इसके बाद मैनें आज दिनांक 07.05.2025 को श्री रामदेव तेली के निवास पर जाकर उसको पटवारी श्री मनोज कुमार द्वारा पत्थरगढी करने के सम्बन्ध में 12,000 रूपये की रिश्वत राशि मांगने के बारे में बताया तो श्री रामदेव ने मुझे बोला कि पटवारी साहब को रिश्वत राशि नही देना है और पटवारी की शिकायत करने का कह मुझे ब्यूरो मुख्यालय राजस्थान जयपुर के 1064 नम्बर पर मैनें मेरे मोबाईल नम्बर से फोन कर

पटवारी द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के बारे में शिकायत की। इसके उपरान्त कुछ देर बाद ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा से मेरे मोबाईल नम्बर पर फोन आया और हमें जमीन सम्बन्धित खातों की नकल व आवश्यक दस्तावेजात् के साथ ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम पर बुलाया जिस पर मैं मेरे जानकार श्री रामदेव को साथ लेकर आपके कार्यालय में कार्यवाही हेतु आ गये । परिवादी द्वारा अन्य दस्तावेज जिसमें पत्थरगढी करने के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडलगढ जिला भीलवाडा के आदेश, जमाबन्दी व परिवादी श्री कैला लाल एवं उसकी पत्नि श्रीमति शांति देवी के आधार कार्ड की प्रतियां पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी श्री कैला लाल के साथ उपस्थित आये श्री रामदेव से पूछताछ करने पर बताया कि हम एक दोनो एक ही गांव में निवासरत् होने के कारण एक-दूसरे के घर परिवार में आना जाना है। कल दिनांक 06.05.2025 को रात के समय श्री कैला लाल मेरे घर आये तथा पटवारी द्वारा इनके खेत की पत्थरगढी करने के लिये रिश्वत राशि 12,000 रूपये मांगने के बारे में बताया तो रात होने के कारण मैनें सुबह बात करने के लिये कहा । फिर आज सुबह श्री कैला लाल मेरे घर आये और मुझे पटवारी द्वारा कही बातें बताई और श्री कैला लाल के मोबाईल नम्बर पर कल दिनांक 06.05.2025 को पटवारी साहब द्वारा किये गये फोन नम्बर पर पुनः फोन कर पूछा तो बात कर रहे व्यक्ति ने अपना नाम श्री दुर्गेश चपरासी होना बताया और कहा कि आप पटवारी साहब के फोन नम्बर पर फोन करों और यह मोबाईल नम्बर मेरा है । जिस पर श्री कैला लाल ने मुझसे पटवारी साहब श्री मनोज कुमार के मोबाईल नम्बर मांगे जिस पर मैनें उनको पटवारी साहब के मोबाईल नम्बर दिये। इसके बाद श्री कैला लाल ने मेरे सामने ही पटवारी साहब से बात कर पत्थरगढी करने के सम्बन्ध में आने बाबत् पूछा तो पटवारी साहब ने दिनांक 08.05.2025 को श्री कैला लाल के खेत पर सुबह 10.00 बजे आने की एवं रिश्वत राशि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कहा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने से परिवादी श्री कैला लाल को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में पटवारी श्री मनोज कुमार से अपने कार्य व रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाये जाने का कहने पर परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 08.05.2025 को पटवारी जी हमारें पत्थरगढी करने तथा खेत का नाप-चौप करने आयेगें तो मैं रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 नम्बर 15 को बुलाकर परिवादी श्री कैला लाल से आपस मे परिचय करवाया तथा दोनो के मोबाईल नम्बर साझा किये गये। श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 को परिवादी के साथ उसके गांव उंदरो के खेडा में परिवादी श्री कैला लाल के साथ रहकर पटवारी द्वारा की जाने वाली रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये एवं मालखाना प्रभारी श्री रामपाल ए.एस.आई से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं एक नया मैमोरी कार्ड मंगवाया जिस पर श्री रामपाल ए.एस.आई ने एक नया मेमोरी कार्ड 64 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी का एवं कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लाकर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया जिस पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड लगाकर परिवादी श्री कैला लाल को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के बारे में जानकारी देकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई जाने के उपरान्त श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 को परिवादी के साथ रहकर पटवारी द्वारा की जाने वाली रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये। श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 को यह भी हिदायत दी गई कि डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालुकर परिवादी श्री कैला लाल को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु देवें तथा संदिग्ध पटवारी श्री मनोज कुमार पटवारी हल्का माल का खेडा की आम शोहरत के बारे में जानकारी करें। परिवादी श्री कैला लाल के समक्ष ही श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 को निर्देश प्रदान किये कि दिनांक 08.05.2025 को प्रातः जल्दी ब्यूरो कार्यालय से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक से प्राप्त कर परिवादी श्री कैला लाल के ग्राम उंदरों का खेडा पहूंच परिवादी से सम्पर्क करने के उपरान्त पटवारी श्री मनोज कुमार से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करावें। तत्पश्चात् परिवादी श्री कैला लाल को भी श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 के साथ रहकर संदिग्ध श्री मनोज कुमार पटवारी से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करावें तथा श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 आपके गांव आकर आपसे सम्पर्क कर लेगें। परिवादी श्री कैला लाल एवं उसके साथ आये उसके जानकार श्री रामदेव तेली को मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम से रूखसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मेरे पास कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 08.05.2025 समय 06.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 को मेरे पास कार्यालय की अलमारीमें सुरक्षित रखा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड SANDISK 64 GB ULTRA को सुपुर्द कर बाद हिदायत दी गई कि आप परिवादी को संदिग्ध अधिकारी के पास वार्ता करने जाने से पूर्व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को अच्छी तरह से चालु कर सूपूर्द करें। परिवादी एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें कानि0 को माल का खेडा की और रवाना किया गया। दिनांक 08.05.2025 समय 05.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को कानि0 गजेन्द्र सिंह ने जरिये दूरभाष मोबाईल से बताया कि ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर 09.40 ए.एम. पर माल का खेडा बस स्टेण्ड पहूंचा जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री कैला लाल उपस्थित मिला। इस पर हम दोनो ग्राम माल का खेडा से रवाना होकर परिवादी के ग्राम डोल का झोपडा में स्थित खेत पर पहूंचे जहां पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी के बारे में मालूमात करने की कहा तो परिवादी ने अपने पास के खेत पडौसी से पता करने पर संदिग्ध अधिकारी अन्य खेतों की पत्थरगढी में व्यस्त होना बताया। इस पर मैं एवं परिवादी संदिग्ध अधिकारी के आने के

इन्तजार में मुकीम रहे। इसके कुछ समय उपरान्त परिवादी ने मुझे बताया कि पटवारी साहब मेरे खेत के पास ही पडौसी खेत में पत्थरगढी कर रहे है। जिस पर मेरे द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकोर्डर चालूकर परिवादी श्री कैला लाल को सुपूर्द कर परिवादी को उसके खेत पडौसी श्री नन्दकिशोर तेली के यहां संदिग्ध अधिकारी द्वारा की जा रही पत्थरगढी स्थान की ओर रवाना किया गया। परिवादी को संदिग्ध अधिकारी के पास वार्ता के लिए जाते-आते को मैने आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए देखा। कुछ समय बाद परिवादी संदिग्ध अधिकारी से वार्ता कर मेरे पास आया और मुझे डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू हालत में प्रस्तुत किया, जिसको मैंने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् मुझे परिवादी ने बताया कि मेरी पटवारी साहब श्री मनोज जी से वार्ता हो गई है। जो आपके रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड है। पटवारी साहब ने मुझे कहा कि आपको पूर्व में आपके खेत की पत्थरगढी करने के सम्बन्ध में मैनें आपको 15 हजार रूपये बताये, वो नही ले रहा हूं। इसके बाद 12 हजार रूपये की बात हुई वो भी नही लेकर अब 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर लेने पर सहमत हुआ। कानि0 ने बताया कि परिवादी कह रहा है कि मुझे रात को घर पर रहना पडता है। मैं आपके साथ भीलवाडा नही चल पाउंगा एवं मुझे रिश्वत में दी जाने वाली राशि की भी व्यवस्था करनी है। जिस पर कानि0 गजेन्द्र सिंह को निर्देश दिये कि परिवादी को वही छोडकर हिदायत करें कि रिश्वत में दी जाने वाली की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा में उपस्थित आवें। समय 09.00 पी.एम. पर श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम पर उपस्थित होकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत कर हालात बताये कि आपके निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर 09.40 ए.एम. पर माल का खेडा बस स्टेण्ड पहूंचा जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री कैला लाल उपस्थित मिला। इस पर हम दोनो ग्राम माल का खेडा से रवाना होकर परिवादी के ग्राम डोल का झोपडा में स्थित खेत पर पहूंचे जहां पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी के बारे में मालूमात करने की कहा तो परिवादी ने अपने पास के खेत पडौसी से पता करने पर संदिग्ध अधिकारी अन्य खेतों की पत्थरगढी में व्यस्त होना बताया। इस पर मैं एवं परिवादी संदिग्ध अधिकारी के आने के इन्तजार में मुकीम रहे। इसके कुछ समय उपरान्त परिवादी ने मुझे बताया कि पटवारी साहब मेरे खेत के पास ही पडौसी खेत में पत्थरगढी कर रहे है। जिस पर मेरे द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकोर्डर चालूकर परिवादी श्री कैला लाल को सुपूर्द कर परिवादी को उसके खेत पडौसी श्री नन्दकिशोर तेली के यहां संदिग्ध अधिकारी द्वारा की जा रही पत्थरगढी स्थान की ओर रवाना किया गया। परिवादी को संदिग्ध के पास वार्ता के लिए जाते-आते को मैने आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए देखा। कुछ समय बाद परिवादी संदिग्ध से वार्ता कर मेरे पास आया और मुझे डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू हालत में प्रस्तुत किया, जिसको मैंने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् मुझे परिवादी ने बताया कि मेरी पटवारी साहब श्री मनोज जी से वार्ता हो गई है, जो आपके रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड है। पटवारी साहब ने मुझे कहा कि आपको पूर्व में आपके खेत की पत्थरगढी करने के सम्बन्ध में मैनें आपको 15 हजार रूपये बताये, वो नही ले रहा हूं। इसके बाद 12 हजार रूपये की बात हुई वो भी नही लेकर अब 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर लेने पर सहमत हुआ। मैं परिवादी को वही छोडकर डी.वी.आर. मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय पर उपस्थित आया। प्रस्तुत शुदा डी.वी.आर. को चालूकर उसमें लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को सूना गया तो उक्त वार्ता की ताईद हुई तथा रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। आरोपी पटवारी श्री मनोज परिवादी श्री कैला लाल उर्फ केलू से उसके खेत की सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने के सम्बन्ध में 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हुआ। आईन्दा परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने पर स्वतन्त्र गवाहान को तलब कर रिकॉर्ड वार्ताओ की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। डिजिटलवॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा। दिनांक 19.05.2025 समय 07.23 पी.एम. पर परिवादी श्री कैला लाल ने अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक को फोन कर बताया कि पटवारी ने मेरे खेत का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कर दी है। व मुझे पटवारी मनोज कुमार द्वारा मेरे खेत की पत्थर गढी व सीमाज्ञान करने से सम्बन्धित दस्तावेजात् की प्रति पटवारी से लेनी है, तथा पटवारी मुझसे रिश्वत राशि के बिना कोई भी कागज नही देगा इस पर परिवादी को दूरभाष पर ही निर्देशित किया कि आप आरोपी पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होवें ताकि आरोपी पटवारी के विरूद्ध अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जा सकें। इस पर परिवादी ने बताया कि मैं रूपयों की व्यवस्था कर दिनांक 21.05.2025 को समय 08.00 ए.एम पर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 20.05.2025 समय 04.20 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय के पत्र क्रमांक 747 दिनांक 20.05.2025 द्वारा श्रीमान् उपायुक्त प्रशासन वाणिज्य कर विभाग भीलवाडा के नाम तहरीर जारी कर दो स्वतन्त्र गवाहान भिजवाने हेतु श्री राजवीर कानि0 नम्बर 58 को वाणिज्य कर विभाग भीलवाडा रवाना किया गया, जो दो स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय पर उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिचय पूछा तो श्री अनिल कुमार जोशी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी, बिजनेस ऑडिट सैकण्ड भीलवाडा व श्री नईमूद्दीन लुहार कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक आयुक्त वृत्त सी. वाणिज्य कर विभाग भीलवाडा होना बताया। दिनांक 20.05.2025 समय 06.15 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को दिनांक 21.05.2025 को प्रातः 07.30 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम पर उपस्थित होने हेतु आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत

किया गया। दिनांक 21.05.2025 समय 07.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में पूर्व से पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री अनिल कुमार जोशी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी, बिजनेस ऑडिट सैकण्ड भीलवाडा व श्री नईमूद्दीन लुहार कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक आयुक्त वृत्त सी. वाणिज्य कर विभाग भीलवाडा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये जिनको कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 08.24 ए.एम. पर परिवादी श्री कैला लाल उर्फ केलू व उसका साथी श्री रामदेव तेली उपस्थित आये जिस पर दोनो को कक्ष में बैठाया व उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी श्री कैला लाल उर्फ केलू व उसका साथी श्री रामदेव तेली से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतन्त्र गवाहान को सुनाया, पढाया जाकर प्रार्थना पत्र पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् दिनांक 08.05.2024 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी से निकालकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को चालूकर सुनाया गया जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान द्वारा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। तत्पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहान से की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान रहने की मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। समय 08.50 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.05.2025 को परिवादी श्री कैला लाल एवं आरोपी श्री मनोज पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड है को कार्यालय के लेपटॉप से श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 से कनेक्ट करा बारी-बारी से चलाकर परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को सुनाया गया तो उक्त रिकॉर्ड शुदा वार्ता में परिवादी श्री कैला लाल ने एक आवाज अपनी स्वयं की होना बताया एवं दूसरी रिकॉर्ड शुदा आवाज श्री मनोज पटवारी की होना बताया। तत्पश्चात् रिकॉर्ड शुदा वार्ता को शब्द-ब-शब्द सुन-सुनकर कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 से तैयार करवाई गई। इसके उपरान्त उक्त मूल मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा वार्ता की कॉपी कर 03 पैन ड्राईव 32-32 जी.बी. LAPCARE कम्पनी के तैयार किये गये, जिसमे 01 पैन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु तथा एक पेन ड्राईव आरोपी हेतु तथा 01 पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किया गया। माननीय न्यायालय हेतु तैयार किये गये पैन ड्राईव को उसी के कवर मे रखकर सफेद कपडे की थैली मे रख शिल्ड मोहर कर मार्क PD-1 दिया गया। आरोपी हेतु तैयार किये गये पैन ड्राईव को उसी के कवर मे रखकर सफेद कपडे की थैली मे रख शिल्ड मोहर कर मार्क PD-2 दिया गया एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये पैन ड्राईव को उसी पैन ड्राईव के कवर मे रखकर एक कागज के लिफाफे मे रखकर खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित मूल मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता की हैसवैल्यू श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 से निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामील पत्रावली की गई। तत्पश्चात् रिकॉर्ड वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड को उसी के कवर मे रखकर एक सफेद कपडे की थैली मे रख शिल्ड मोहर कर मार्क M दिया जाकर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। शिल्ड शुदा आर्टीकल्स मार्क PD-1, PD-2 व M पर उक्त कार्यवाही में उपयोग में ली गई नमूना ब्रास मील अंकित की जाकर कब्जे एसीबी लिये गये। समय 10.00 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में गोपनीयता की दृष्टि से दो चार पहिया प्राईवेट वाहन जरिये दूरभाष तलब किया गया। समय 10.15 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक कल्पना द्वारा परिवादी श्री कैला लाल उर्फ केलू से आरोपी को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से दोनो गवाहान के समक्ष 500-500 रूपये के 11 नोट कुल राशि 5500 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये जिस पर उक्त सभी नोटो पर श्री नारायण लाल कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा गवाह श्री नईमुद्दीन लौहार से परिवादी की जामा तलाशी लिवाई जाने के पश्चात् परिवादी के शरीर पर पहने हुए कमीज की साईड की दाहिनी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए पाउडर युक्त नोटों को श्री नारायण लाल कानि0 से रखवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को नियमानुसार फर्द दृष्टान्त देकर फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया से सभी को अवगत कराया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द दृष्टान्त एवं सुपुर्दगी नोट पृथक मे श्री प्रेमराज कानि0 नम्बर 225 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर पर तैयार करवाई गई जिस पर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। कानि0 नारायण लाल को एसीबी चौकी द्वितीय के लिये रवाना किया गया। समय 10.55 ए.एम. जरिये दूरभाष तलब शुदा प्राईवेट वाहन मय ड्राईवर के कार्यालय पर उपस्थित आये। समय 11.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री अनिल कुमार व श्री नईमुद्दीन लौहार व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री रामपाल ए.एस.आई, श्री नेमीचन्द ए.एस.आई एवं श्री प्रेमराज कानि0 मय प्राईवेट वाहन से तथा श्री पारसमल पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री पवन कुमार कानि0 मय प्राईवेट वाहन से व श्री राजेश कुमार पुलिस उप निरीक्षक मय जाप्ता श्री रामेश्वर कानि0, श्री अशोक कुमार कानि0 को मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री विनोद कुमार कानि0 के एवं परिवादी की कार से परिवादी का साथी श्री रामदेव तेली व श्री खालिद हुसैन हैड कानि0, श्री शिवराज कानि0, व श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एक नया मैमोरी कार्ड SANDISK 64 GB ULTRA परिवादी व आरोपी के मध्यरिश्वत राशि लेन-देन के वक्त होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु सुपुर्द किया गया व ट्रेप कार्यवाही के वक्त मौके की ऑडियो-विडियों रिकॉर्डिंग करने हेतु कानि0 श्री राजवीर को सरकारी मोबाईल सैमसंग तथा एक नया मैमोरी कार्ड SANDISK 64 GB ULTRA सुपुर्द किया गया तथा उक्त ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक लेखन सामग्री सहित समस्त ट्रेप

पार्टी के सदस्य माल का खेडा तहसील बिजौलिया की तरफ रवाना हुए। समय 12.05 पी. एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण सरकारी एवं प्राईवेट वाहनों के रवाना शुदा त्रिवेणी चौराहे पर पहूंचे जहां पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सभी वाहनों को एक तरफ सडक से साईड में खडा करवाकर परिवादी श्री कैला लाल के मोबाईल नम्बर

से आरोपी श्री मनोज पटवारी के मोबाईल नम्बर पर वार्ता आरोपी की लोकेशन पता करने के लिये करवाई जिस पर आरोपी ने परिवादी को अपनी लोकेशन नही बताकर काम के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी ने पत्थरगढी करने के दस्तावेज् लेने बाबत् कहने पर आरोपी पटवारी ने उक्त दस्तावेजात् तहसील कार्यालय से लेने के लिये कहा और फोन काट दिया। उक्त कार्यवाही में आरोपी के फोन की लोकेशन प्राप्त कर परिवादी को आरोपी के पास पटवार हल्का माल का खेडा भिजवाने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक मय समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यगण माल का खेडा की तरफ अपने-अपने वाहनों के रवाना हुए। समय 12.40 पी. एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण अपने-अपने वाहनों के ग्राम श्यामपुरा के पास पहुंचे जहां आरोपी के मोबाईल फोन नम्बर की लोकेशन ली गई तो आरोपी का फोन स्वीच ऑफ आना पाया जाने से लोकेशन प्राप्त नही हुई। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमान् पारसमल पुलिस उप अधीक्षक को हालात निवेदन किये गये जिस पर श्रीमान् द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देश दिये कि परिवादी के पास आरोपी के फोन आने का ईन्तजार करें और कुछ समय बाद आरोपी के फोन की लोकेशन प्राप्त कर परिवादी को आरोपी के पास रिश्वत राशि लेकर भेजें। इसके उपरान्त कुछ समय बाद आरोपी के फोन की लोकेशन की पुनः प्राप्त की गई तो आरोपी का फोन स्वीच ऑफ होना पाया गया। इस पर उक्त हालात श्रीमान् पारसमल पुलिस उप अधीक्षक को निवेदन किये गये जिस पर पुलिस उप अधीक्षक साहब ने बताया कि आज ट्रेप कार्यवाही की संभावना नही है। समस्त ट्रेप पार्टी को ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा पहूंचने के निर्देश प्रदान किये। अतः परिवादी से आरोपी को दी जाने वाली फिनोफ्थलीन पाउडर लगी हुई रिश्वत राशि को दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 से परिवादी की कमीज की दाहिनी जेब से निकलवाकर एक कागज के लिफाफे में रखवाकर श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कैला लाल एवं परिवादी के साथी श्री रामदेव तेली को हिदायत की गई जब भी आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लेने हेतु आपसे फोन से वार्ता करें या रिश्वत राशि लेने हेतु आपके निवास पर आये तो आप तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करें व बिना ब्यूरो को सूचित करें आप आरोपी को रिश्वत राशि नही देवें। इसके बाद परिवादी व उसके साथी रामदेव को उनकी कार से उनके निवास स्थान की ओर रवाना कर समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यगण भी अपने-अपने वाहनों से ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम के लिये रवाना हुए। समय 03.00 पी. एम. पर ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा प्रथम पहूंचे। इसके उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत राशि को स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखी गई। दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं एमीबी कार्यालय द्वितीय के जाप्ता को कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 07.06.2025 समय 11.00 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष परिवादी के मोबाईल से ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया तो परिवादी का मोबाईल फोन स्वीच ऑफ होने से सम्पर्क नही हो पाया। दिनांक 20.06.2025 समय 11.25 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष परिवादी के मोबाईल से ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मैं पटवार भवन गया तो पटवारी साहब श्री मनोज जी मुझे पटवार भवन में नही मिले और ना रिश्वत राशि लेने के लिये मेरे से सम्पर्क किया। दिनांक 07.07.2025 समय 04.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष परिवादी के मोबाईल से ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया तो परिवादी से सम्पर्क नही हो पाया। दिनांक 11.07.2025 समय 04.05 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष परिवादी के मोबाईल से ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि पटवारी साहब मुझे ना तो मुझे मिले और ना ही मेरे से सम्पर्क किया। दिनांक 23.07.2025 समय 11.35 ए. एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष परिवादी के मोबाईल से ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि पटवारी साहब मुझे ना तो मुझे मिले और ना ही मेरे से सम्पर्क किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित होने बाबत् कहा तो परिवादी ने बताया कि मेरा साथी रामदेव आज यहां नही है, बाहर गया हुआ है। रामदेव के आने पर आपके कार्यालय पर 01-02 दिन में उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 25.07.2025 समय 11.20 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष परिवादी के मोबाईल से ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि पटवारी साहब ना तो मुझे मिले और ना ही मेरे से सम्पर्क किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित होने बाबत् कहा तो परिवादी ने बताया कि मेरे गांव से भीलवाडा आने-जाने का कोई साधन नही है और ना ही मुझे कोई लेकर आने वाला है। इस कारण में आपके कार्यालय में नही आ सकता हूं। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को बताया कि आपके गांव के पास उपस्थित मिलना। मैं अग्रिम कार्यवाही हेतु मय गवाहान के उपस्थित हो रही हूं। समय 11.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष पूर्व के दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री अनिल कुमार जोशी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री नईमुद्दीन लुहार, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी भीलवाडा को आज ही अतिशीघ्र ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया। जिस पर समय 01.35 पी. एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री अनिल कुमार जोशी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री नईमुद्दीन लुहार, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय वाणिज्य कर अधिकारी भीलवाडा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित

आये जिनको उपरोक्त अग्रिम कार्यवाही हेतु जानकारी प्रदान की गई। समय 02.40 पी.एम. पर इस समय मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री अनिल कुमार व श्री नईमुद्दीन लौहार व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री रामपाल ए.एस.आई, श्री नेमीचन्द ए.एस.आई, श्री खालिद हुसैन हैड कानि0 उक्त ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक लेखन सामग्री सहित समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्य माल का खेडा तहसील बिजौलिया की तरफ मय सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14. यू.एल. 5822 के रवाना हुए। समय 04.45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री अनिल कुमार व श्री नईमुद्दीन लौहार व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री रामपाल ए.एस.आई, श्री नेमीचन्द ए.एस.आई, श्री खालिद हुसैन हैड कानि0 उक्त ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक लेखन सामग्री सहित समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्य माल का खेडा तहसील बिजौलिया की तरफ मय सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14. यू. एल. 5822 के रवाना शुदा महुआ-बिकरण रोड पर स्वरूप जी का खेडा के पास पहुचें। जहां पर परिवादी श्री कैला लाल व उसका साथी रामदेव तेली उपस्थित मिले। मन् पुलिस निरीक्षक को गवाहान के समक्ष परिवादी ने बताया कि माल का खेडा पटवारी साहब मनोज जी ने मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये अब तक सम्पर्क नही किया है लगता है कि पटवारी साहब मनोज जी मेरे से अब रिश्वत राशि ग्रहण नही करेगें। परिवादी के बताये अनुसार ट्रेप कार्यवाही की संभावना नही है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5500 रूपये को बदलकर परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर 5500 रूपये सुपुर्द कर रसीद प्राप्त की गई। कार्यवाही में उपयोग में ली गई ब्रास सील मौके पर नष्ट की गई। परिवादी व उसके साथी रामदेव तेली को रूखसत किया गया। समय 05.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री अनिल कुमार व श्री नईमुद्दीन लौहार व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री रामपाल ए.एस.आई, श्री नेमीचन्द ए.एस.आई, श्री खालिद हुसैन हैड कानि0 उक्त ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक लेखन सामग्री सहित समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्य माल का खेडा तहसील बिजौलिया की से मय सरकारी वाहन नम्बर आर.जे. 14. यू.एल. 5822 के ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा के लिये रवाना हो ब्यूरो कार्यालय समय 08.00 पी.एम पर भीलवाडा पहुचें। गवाहान एवं जामा को रूखसत दी गई। अब तक की कार्यवाही से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हूई वार्ता फर्द ट्रांसक्रिप्ट रनिंग नोट, फर्दात से आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी पटवार हल्का माल का खेडा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी की ग्राम धनवाडा हल्का माल का खेडा की सरहद में खाता संख्या 83 आराजी संख्या 86, 87/1 कुल खसरे 02.0.8255 व खाता संख्या संख्या 665 आराजी संख्या 77/7, 85 कुल खसरे 02.1.5136 हैक्टर कुल 14.05 बीघा जमीन की पत्थर गढी करने की एवज में परिवादी केला लाल माली से 12000/- रू. की मांग कर 10,000/- रू. लेने पर सहमत होना पाया गया। आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी पटवार हल्का माल का खेडा चुस्त व चालाक हो शंका हो जाने के कारण रिश्वत राशि नहीं ली। जिस कारण आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत राशि का लेन देन नहीं हो पाया। लेकिन आरोपी श्री मनोज कुमार पटवारी, पटवार हल्का, माल का खेडा, तहसील बिजोलियां, जिला भीलवाडा, ने दिनांक 08.05.2025 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान परिवादी से 10,000/- रू. की मांग करना पाया गया। आरोपी के उक्त कृत्य से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का जुर्म प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना पाया गया। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किये जाने हेतु रिपोर्ट कार्यालय पत्रांक 1130 दिनांक 28.07.2025 से श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, अजमेर रेंज अजमेर को प्रेषित की गई। जिस पर श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर के पत्रांक भ्र.नि.ब्यूरो/अशा/3/25/11174-75 दिनांक 12.08.2025 से श्री मनोज कुमार पटवारी पटवार हल्का माल का खेडा, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। अतः आरोपी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री कल्लूराम, उम्र 25 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट बरोलीछार, कोली मोहल्ला, तहसील नदबई, जिला भरतपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का माल का खेडा, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जाती है। (कल्पना) पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना, पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री कल्लूराम, उम्र 25 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट बरोलीछार, कोली मोहल्ला, तहसील नदबई, जिला भरतपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का माल का खेडा, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पारस मल उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 483 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1236-39 दिनांक 25.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा, 2. जिला कलक्टर, भीलवाडा, 3- उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम, पुलिस अधीक्षक-

प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** parasmal panwar **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	14/06/2000				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)